शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक राशिके / वित्त / 2012 / 2502 भोपाल दिनांक 13·3·12

प्रति,

जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द्र
जिला – समस्त जिले

विषय :– वर्ष 2011–12 का कन्करेंट आडिट के संबंध में ।

वर्ष 2011–12 के सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत योजनाओं के वित्तीय लेखांकन समय पर पूर्ण करने एवं भारत सरकार को वार्षिक अंकेक्षण रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने हेतु कन्करेंट आडिटर की व्यवस्था की गयी है। जिसके तहत प्रत्येक तिमाही में आडिट पूर्ण किया जाकर प्रतिवेदन प्राप्त किया जाना है। संलग्न विवरण अनुसार जिलों द्वारा अभी तक तृतीय तिमाही में आडिट कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है। अतः सुनिश्चित करें कि इसी माह में आडिट पूर्ण होकर प्रतिवेदन राज्य शिक्षा केन्द्र को प्रस्तुत हो जाये। अंतिम तिमाही का कन्करेंट आडिट आपके द्वारा अनिवार्य रूप से अप्रेल माह के अंतिम सप्ताह में पूर्ण कराया जाना है, ताकि आगामी माह में वैधानिक अंकेक्षण कार्य पूर्ण होकर भारत सरकार को प्रतिवेदन निर्धारित समय से प्रेषित किया जा सके।

2. विगत वर्ष के अंकेक्षित प्रतिवेदन में उपयोगिता प्रमाण पत्र के अभाव में अत्यधिक अग्रिम बकाया रहने के संबंध में भारत सरकार द्वारा आपत्ति ली गयी है। निर्माण कार्य एवं पालक शिक्षक संघों को जारी विभिन्न राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आपको समय समय पर निर्देश दिये गये है। निर्माण कार्य की पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु समस्त कलेक्टर को मुख्य सचिव की ओर से भी निर्देशित किया गया है। अतः सुनिश्चित् करें कि अधिक से अधिक राशि के पूर्णता प्रमाण पत्र एवं उपयेगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर अग्रिम का समायोजन किया जाये। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010–11 के 40 प्रतिशत पालक शिक्षक संघों का आडिट वैधानिक अंकेक्षक के माध्यम से कराया गया है जिनका प्रतिवेदन आपको उपलब्ध कराया गया है। अतः पालक शिक्षक संघों के आडिट प्रतिवेदन के आधार पर भी पालक शिक्षक संघों को दिये गये अग्रिम का समायोजन किया जा सकता है।

3. कुछ प्रकरणों में यह पाया गया है कि अंतिम माह में चेक काटकर व्यय दर्शाया गया एवं बाद में चेक निरस्त किया जाता है। भविष्य में ऐसी स्थिति पायी जाने पर संबंधित जिला परियोजना समन्वयक एवं

सहायक परियोजना समन्वयक वित्त के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। इस दृष्टि से यह भी निर्देशित किया जाता है कि अब प्रतिमाह आपके द्वारा प्रेषित की जाने वाले एमईआर के साथ संलग्न पत्रक अनुसार जारी किये गये चेकों का विवरण भी संलग्न किया जाये ताकि एमईआर में दर्शायी गयी राशि का जारी किये गये चेकों से मिलान हो सके। उक्त पत्रक प्रतिमाह एमईआर के साथ प्रेषित किये जाने की जबावदारी सहायक परियोजना समन्वयक वित्त की होगी।

उपरोक्तानुसार निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित् करें।

(अशोक बर्णवाल)
आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

कमांक राशिके / वित्त / 2012 / 2503

भोपाल दिनांक 13.3.12

प्रतिलिपि –

- कलेक्टर सह जिला मिशन संचालक समस्त जिलों की ओर सूचनार्थ।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी सह जिला परियोजना संचालक समस्त जिलों की ओर सूचनार्थ।
- सहायक परियोजना समन्वयक वित्त समस्त जिलों की ओर सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देश का पालन किया जाना सुनिश्चित् करें।
- कार्यालयीन बेवपोर्टल www.educationportal.mp.gov.in पर अपलोड करने हेतु।
- मेसर्स .... कन्करेंट आडिटर की ओर कार्यवाही हेतु।
- प्रोग्रामर (वित्त) एमआईएस शाखा की ओर प्रेषित कर लेख है कि सुनिश्चित् करें कि उपरोक्तानुसार विवरण प्रतिमाह प्राप्त हो। किन जिलों से से एमईआर के साथ विवरण प्राप्त नहीं हो वहां कार्यवाही हेतु जानकारी प्रस्तुत की जावे।

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

सक्र.	योजना का नाम	जारी किये गये चेक का क्रमांक	दिनांक	मद जिसके अंतर्गत राशि जारी की गयी	राशि (रूपयों में)

हस्ताक्षर APE(F)   हस्ताक्षर DPC

नोट– यह पत्रक सर्व शिक्षा अभियान, एनपीईजीईएल, केजीबीव्ही एवं राज्य योजना हेतु पृथक पृथक बनाये जाये।

3rd Quarter Concurrent Audit pending for FY 2011-12

S. No.	District
1	Tikamgarh
2	Vidisha
3	Narsingpur
4	Khandwa
5	Sagar
6	Hosangabad
7	Balaghat
8	Satna
9	Sidhi
10	Singrauli
11	Rewa
12	Bhind
13	Dewas